GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी
1. जिला शिक्षा अधिकारी,
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
3. जिला परियोजना अधिकारी,
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी,
5. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी,
6. स्कूल मुखिया/प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 1/3-2017 ACD (4)
दिनांकः– 31.03.2017

विषयः– "तम्बाकू मुक्त" विद्यालय अभियान की अनुपालना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि तम्बाकू के बढ़ते उपयोग एवं दुष्प्रभावों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की असमय मृत्यु तम्बाकू जनित रोगों से होती है। कैंसर, हृदय रोग, श्वसन एवं अन्य असंचारी रोगों में तम्बाकू उपयोग प्रमुख कारणों में एक है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे–2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 14 प्रतिशत से अधिक बच्चे तम्बाकू की आदत का शिकार है तथा हरियाणा जैसे विकसित राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार लोगों की असमय मृत्यु तम्बाकू जनित रोगों से होती है। प्रतिदिन 116 बच्चे तम्बाकू का प्रयोग आरम्भ करते हैं। युवाओं एवं बच्चों में तम्बाकू उत्पादों का बढ़ता प्रचलन अत्यंत चिंता का विषय है। बच्चों को तम्बाकू प्रयोग के प्रति हतोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 (COTPA) के अन्तर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थानों को "तम्बाकू मुक्त" बनाये जाने की व्यवस्था की है। अतः प्रदेश के बच्चों को बचाने के लिए "तम्बाकू मुक्त" विद्यालय अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी विद्यालयों में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाना आवश्यक है:–

1. COPTA की धारा 4 एवं 6 'ब' के अनुसार बोर्ड/वाल पेंट –

अ. विद्यालय परिसर के भीतर धारा 4 के अंतर्गत (न्यूनतम 60 x 30 सें.मी. आकार का)

> **गैर धूम्रपान क्षेत्र**
> **यहाँ धूम्रपान करना अपराध है।**
> उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
> यदि आपको कोई भी धूम्रपान करता दिखाई देता है
> तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।
> 1. श्री/श्रीमती ____________
> 2. पदनाम ____________
> 3. फोन/मोबाइल नं0 ____________

इस विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर विभिन्न चित्रों को विद्यालय परिसर में लगाया जा सकता है।

ब. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर धारा 6 'ब' के अनुसार (न्यूनतम 60x45 सें.मी. आकार का)

> **तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान**
> **इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है, जिसका उल्लंघन करने वाले पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।**
> आदेशानुसार

इस प्रकार का सन्देश प्रवेश द्वार पर लिखवाना।

इस सन्दर्भ में मण्डल स्तरीय CRP तथा Catchup कार्यशालाओं में भी आपको विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से इस विषय पर व्यापक जानकारी प्रदान की गई है। इसकी अनुपालना में आप सब को आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों को उपरोक्तानुसार "तम्बाकू मुक्त" घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः दिनांक, पंचकूला 31.03.2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजी सचिव, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. सहायक प्रबन्धक राज्य परियोजना निदेशक।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला